

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला दतिया (म.प्र.)

विज्ञप्ति

दतिया, दिनांक

वर्ष 2020-21 हेतु दतिया जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का ई-टेंडर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के प्रथम चरण द्वारा निष्पादन की व्यवस्था

सर्व साधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि दतिया जिले की समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के एकल समूहों का पुनर्गठन किया जाकर निर्धारित आरक्षित मूल्य पर वर्ष 2020-21 अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिये निर्धारित शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन ई-टेंडर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निम्न कार्यक्रम अनुसार कलेक्टोरेट सभाकक्ष में किया जावेगा।

क्र.	विवरण	तिथि एवं समय
1	ई-टेंडर (क्लोज बिड) हेतु ऑन-लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ई-टेंडर ऑफर सबमिट करने की तिथि एवं समय	दिनांक 14 मार्च, 2020 को प्रातः 10:00 बजे से 21 मार्च 2020 अपराह्न 01:00 बजे तक।
2	ई-टेंडर (क्लोज बिड) हेतु ऑन-लाईन टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 21 मार्च, 2020 को अपराह्न 02:00 बजे से।
3	ई-टेंडर (ऑक्शन) प्रारंभ एवं बंद होने की तिथि एवं समय	दिनांक 22 मार्च 2020 को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक (तत्पश्चात् 15 मिनट के अंतराल में बोली दिये जाने पर आगामी 15 मिनट के लिये समयवधि में वृद्धि)
4	जिला समिति द्वारा ई-टेंडर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	आवशन पूर्ण होने पर।

इच्छुक व्यवसायियों/व्यक्तियों द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों का विवरण, रोल पेपर, मादक द्रव्यों की खपत, धरोहर राशि, ड्यूटी की दरों तथा सम्बंधित नियमों आदि की जानकारी जिला आबकारी कार्यालय दतिया से किसी भी दिन (अवकाश के दिनों सहित) कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 25.02.2020 द्वारा मदिरा दुकानों के निष्पादन संबंधी विस्तृत जानकारी आबकारी विभाग की वेबसाइट www.mpxcisc.org से एवं बिज्ञप्ति की प्रति एवं अन्य जानकारी <https://mptenders.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है।

(रोहित सिंह)
कलेक्टर

जिला दतिया (म.प्र.)
दतिया, दिनांक 13-03-2020

पृ.क्र./आब./ठेका/2020-21/243
प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, बाणिज्यिक कर विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आबकारी आयुक्त म.प्र., ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक जिला दतिया की ओर सूचनार्थ।
4. उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता, संभाग की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया की ओर सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग की ओर प्रचारार्थ।
7. तहसीलदार, तहसील जिला दतिया की ओर प्रचारार्थ।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) दतिया की ओर वेबसाइट www.datia.nic.in पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
9. समस्त सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी जिला की ओर सूचनार्थ।
10. श्री सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उप निरीक्षक की ओर प्रचारार्थ।
11. जिला जनसम्पर्क अधिकारी दतिया की ओर 5 प्रतियां स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार के रूप में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर
जिला दतिया (म.प्र.)